प्रेषक,

अपर निदेशक ,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– / बा0वि0परि0 / पो0 एवं स्वा0 / 2021–22 दिनांकः 04 जून, 2021

विषयः–अनुपूरक पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत जनपदों में लाभार्थियों को उपलब्ध कराये गये समस्त खाद्यान्न / सामग्री का सत्यापन कराकर सत्यापन प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–19 / 2020 / 2591 / 58–1–2020–2 / 1(116)17टी0सी0–सी दिनांक–01.10.2020 के माध्यम से प्रदेश के सभी 75 जनपदों में स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) के माध्यम से टी0एच0आर0 वितरण को विकेन्द्रीकृत किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये। आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों, खाद्य एवं रसद विभाग की उचित मूल्य की दुकाने एवं प्रादेशिक को–आपरेटिव डेरी फेडरेशन के माध्यम ड्राई राशन (गेहूँ, चावल, दाल, देशी घी एवं स्किम्ड मिल्क पाउडर) लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया। निदेशालय पत्र संख्या सी–1042 दिनांक–02.02.2021 द्वारा वर्ष 2020–21 के चतुर्थ त्रैमास की संलग्न डी0आई0 के अनुसार माह फरवरी, 2021 हेतु चना दाल एवं फोटिफाईड खाद्य तेल की आपूर्ति कराने हेतु नेफेड को निर्देश निर्गत किये गये।

पी0सी0डी0एफ0 द्वारा आपूर्तित स्किम्ड मिल्क पाउडर एवं देशी घी आंगनबाडी केन्द्रों पर वास्तविक लाभार्थियों को किया गया तथा नैफेड द्वारा खाद्यान्न, चना दाल एवं फोर्टीफाइड खाद्य तेल की आपूति की गयी।

यह कि आपके द्वारा उपरोक्त पर DIA पोर्टल व गूगल सीट पर सूचना दी गयी है, उसमें कतिपय भिन्नतायें पायी गयी । समिति से टी0एच0आर0 आपूर्ति एवं वितरण का सत्यापन निम्न् बिन्दुओं को संज्ञान में रखकर किया जायः–

- लाभार्थियों से टी0एच0आर0 आपूर्ति एवं वितरण जानकारी अवश्य की जाय।
- स्वयं सहायता समूहों द्वारा कोटेदार से उठान किया गया परन्तु ऑगनवाड़ी केन्द्रों को प्राप्त नहीं कराया गया अथवा कम प्राप्त कराया गया।

-।

- पी0सी0डी0एफ0 द्वारा उपलब्ध कराये गये स्किम्ड मिल्क पाउडर एवं देशी घी की आपूर्ति एवं वितरण की वास्तविक स्थिति।
- नैफेड द्वारा उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न चना दाल, फोर्टीफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति एवं वितरण की स्थिति।

अतः आपसे अनुरोध है कि तृतीय त्रैमास के माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 2021 एवं चतुर्थ त्रैमास के माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 2021 हेतु अनुपूरक पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत जनपदों में लाभार्थियों को उपलब्ध कराये गये समस्त खाद्यान्न/सामग्री का सत्यापन करकर सत्यापन प्रमाण-पत्र तथा विचलन पाये जाने की स्थिति में अपनी संस्तुति सहित आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

/

(डा0 अरविन्द कुमार चौरसिया)
अपर निदेशक (प्रशासन)

पृष्ठांकन संख्या– सी-152 /तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– अपर मुख्य सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2– प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3– निदेशक महोदया के अवलोकनार्थ।
4– समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी, उत्तर प्रदेश।

(डा0 अरविन्द कुमार चौरसिया)
अपर निदेशक(प्रशासन)